भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3248

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

आत्मनिर्भर भारत निधि

3248. श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान आत्मनिर्भर भारत निधि (एसआरआई निधि) के कार्यान्वयन के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इक्विटी सहायता के लिए आवेदन करने वाले, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और एलुरु जिलों के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है, जिनका मूल्यांकन किया गया है और जिन्हें इक्विटी सहायता के योग्य पाया गया है;

(ग) देशभर में विशेषकर उपरोक्त जिलों में एसआरआई निधि के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एसआरआई निधि के अंतर्गत शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देशभर में एसआरआई निधि के संबंध में कोई जागरुकता अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (घ) : आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में, कोष निधि के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वर्ष 2020 में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुपालन में, आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है, ताकि उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए डाले जा सकें, जिनमें बढ़ने और एक बड़ी इकाई बनने की क्षमता और संभावना है। इस कोष के अंतर्गत, भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए तथा निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके क्रियान्वयन के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) : एसआरआई फंड के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में लाभान्वित एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार को धनराशि जारी नहीं की जाती है। दिनांक 28.02.2025 तक, 60 डॉटर फंड को सूचीबद्ध किया गया है और 10,979 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से, 577 एमएसएमई को सहायता दी गई है। एसआरआई फंड के तहत, दिनांक 28.02.2025 तक, भारत सरकार द्वारा एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को 1,722 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित और जारी की गई है और 1,641.90 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है।

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय जागरूकता पैदा करने के लिए एमएसएमई- विकास कार्यालय, सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों आदि के सहयोग से एमएसई और उद्योग संघों के लिए कार्यशालाएं/इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करता है। एनवीसीएफएल भी फंड योजना के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

*****

अनुबंध-I

"आत्मनिर्भर भारत निधि" विषय पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3248, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एसआरआई कोष की शुरुआत से दिनांक 28.02.2025 तक एसआरआई कोष के तहत लाभान्वित एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण		
क्र.सं.	**राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र का नाम**	**निवेशित कंपनियों की संख्या**
1.	**आंध्र प्रदेश**	**3**
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	चंडीगढ़	3
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	69
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	23
10.	हरियाणा	49
11.	हिमाचल प्रदेश	1
12.	झारखंड	1
13.	केरल	7
14.	कर्नाटक	151
15.	मध्य प्रदेश	7
16.	महाराष्ट्र	144
17.	ओडिशा	9
18.	पुडुचेरी	2
19.	पंजाब	2
20.	राजस्थान	7
21.	तमिलनाडु	27
22.	त्रिपुरा	1
23.	तेलंगाना	39
24.	उत्तराखंड	5
25.	उत्तर प्रदेश	15
26.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	**577**

स्रोत: एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड